1

दिनांक: 05.09.2012

क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि:-

प्रश्न उत्तर
(क) क्या यह सत्य है कि किसी
महिला ने यदि विवाह न किया
हो और वह पूर्णतः अपने पिता
के परिवार पर ही आश्रित हो,
परंतु वृद्वावस्था पेंषन की श्रेणी
में न आती हो तो उसे किसी भी
प्रकार की पेंषन/सहायता नहीं
मिल सकती,

जी हां, पेंषन/सहायता नहीं मिल सकती ।

(ख) क्या यह भी सत्य है कि यदि किसी महिला को उसके पति द्वारा बिना कानूनी तलाक दिए छोड़ दिया गया हो अथवा
आपसी रजामंदी अथवा परिवारिक पंचायत के सामने साधारण पेपर
पर लिखा पढ़ी करके छोड़कर चला गया है, ऐसे मामलों में भी किसी प्रकार की पेंषन/सहायता नहीं मिल सकती,

नियमावली संलग्न है । नियम 5(ब) के अनुसार निम्नलिखित दस्तावेज मान्य हैं:-
’ तलाक की डिक्करी
’ पुलिस रिपोर्ट
’ पारिवारिक सलाह केन्द्र में दर्ज
षिकायत
’ महिला आयोग में दर्ज षिकायत
*

षिकायत
’ महिला पंचायत में दर्ज ष्किायत

(ग)यदि हां, तो ऐसा नियम क्या है
तथा यदि इन मामलों में भी पेंषन/सहायता का प्रावधान है

प्रतिलिपि उपलब्ध करवाएं ?

नियमावली की प्रति संलग्न है ।

तारांकित प्रश्न संख्याः 26 fnukad % 05-09-2012
प्रश्नकर्ता : श्री जसवंत सिंह राणा **विभाग : महिला एवं बाल विकास**

D;k lekt dY;k.k ea=h ;g crkus dh d`ik djsaxh fd %&

	iz'u	mRrj
¼d½	D;k ;g lR; gS fd ,sls cPps ftudh ekrk&firk dk nsgkUr gks pqdk gS vkSj os viuh o)} nknk&nknh ds ikl jg jgs gSa vkSj mudh o}k isa”kuk ij gh vkfJr gSa rFkk Ldwyksa esa i<+ jgs gSa] D;k fnYyh ljdkj dh ,sls cPpksa dks vkfFkZd lgk;rk ds fy, dksbZ ;kstuk gS] ;fn gka] rks blds fooj.k D;k gSa]	¼d½ 1- efgyk ,oa cky fodkl foHkkx }kjk 21 cky xg pyk;s tk jgs gSa] ftudh lwph layXu gS A bu laLFkkvksa esa fujkfJr] vukFk rFkk vU; t:jrean cPpksa dks vkJ;] **आहार, चिकित्सा, शिक्षा तथा** euksjatu dh lqfo/kk,a nh tkrh gS A 2- blds vfrfjDr Lo;alsoh laLFkkvksa }kjk 41 cky xg rFkk 15 vkiu **भोल्टर होम चलाये जा रहे हैं** A 2- bu laLFkkvksa esa izos”k grq ljdkj us /kkjk 29 fnYyh fd”kksj U;k; ¼cydksa dh ns[kjs[k vkSj laj{k.k½ fu;e 2009 ds vuqlkj 07 cky dY;k.k lfefr;ksa dk xBu fd;k gS] ftudh lwph layXu gS A 3- mi;qDr laLFkkvksa esa cPpksa dks vkJ;] vkgkj] **चिकत्सा, शिक्षा तथा** euksjatu vkfn dh lqfo/kk,a fnYyh **किशोर(बालकों की देखरेख** vkSj laj{k.k½ fu;e 2009 ds vuqसार **निशुल्क** lqfo/kk;sa iznku dh tkrh gS A

3

(ख)यदि नहीं तो, क्या इस प्रकार के बच्चों की आर्थिक सहायता के लिए दिल्ली सरकार द्वारा कोई योजना बनाई जा रही है, और

(ख) फिलहाल, ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है ।

(ग)यदि नहीं तो योजना कब तक बना दी जायेगी ?

(ग) उपरोक्त श्खश् के अनुसार ।

तारांकित प्रश्न संख्याः 31 fnukad % 05-09-2012
प्रश्नकर्ता : श्री जय किशन **विभाग : महिला एवं बाल विकास**

D;k lekt dY;k.k ea=h ;g crkus dh d`ik djsaxh fd %&

	i'u	mRrj
¼d½	efgyk ,oa cky fodkl foHkkx }kjk lqYrkuiqj ektjk {ks= esa fdruh fo/kok efgykvksa dks isa”ku nh tk jgh gS] mudh lwph D;k gS]	¼d½ efgyk ,oa cky fodkl foHkkx }kjk lqYrkuiqj ektjk {ks= esa 2403 fo/kok efgykvksa dks isa”ku nh tk jgh gSA lwph layXu gSA
¼[k½	fdrus vkosnu foHkkx esa yfcr gS]	¼[k½ dksbZ vkosnu foHkkx esa yafcr ugha gSA
¼x½	**क्या राश्ट्रीय सामाजिक सहायता** dk;Zdze ds rgr feyus okyh 10]000 :i, dh jkf”k cUn dj nh xbZ] vkj	¼x½ th] ugha A
¼?k½	;fn gka] rks blds D;k dkj.k gSa \	¼?k½ ykxw ugha A

5

दिनांक: 05.09.2012

क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि:-

प्रश्न उत्तर
(क) क्या यह सत्य है कि सरकार
द्वारा महिला एवं बाल विकास
की कुछ योजनाएं चला रही हैं,

(क) जी, हां ।

(ख)यदि हां, तो सरकार क्या-क्या योजनाएं चला रही है,

(ख) दिल्ली में ंमहिलाओं के कल्याण के
लिए महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा
निम्नलिखित योजनाएं चलाई जा रहीहैंः-
1 विधवा एवं निराश्रित महिलाओं के लिए 1500/-रू0 प्रतिमाह पेंषन योजना ।
2. विधवा महिलाओं की पुत्रियों तथा

30000 रूपये एक मुष्त राषि देने की योजना ।
3. लाड़ली योजना ।
4. प्रियदर्षनी कामकाजी महिला हॉस्टल, विषवास नगर, दिल्ली ।
5. महिला कार्य केन्द्र ।
6.घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए महिलाओं की ष्घरेलू हिंसा से सुरक्षा अधिनियम-2005ष् राजधनी क्षेत्र, दिल्ली में लागू किया गया है, जिसके अंतर्गत 17 संरक्षण अधिकरी महिला एवं बाल विकास द्वारा नियुक्त किए गए हैं ।
7. दहेज निरोधक कार्यक्रम के अंतर्गत सभी जिला समाज कल्याण

अधिकारी नामित किया गया है । 8.दिल्ली महिला आयोग दूसरी मंजिल, सी ब्लॉक, विकास भवन, नई

6

दिल्ली । 9. निराश्रित गर्भवती महिलाओं के
लिए आश्रय गृह ।
10. इंंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना 11. आवाज उठाओ ।

इन योजनाओं के अतिरिक्त दिल्ली सरकार द्वारा महिलाओं के लिए

निम्नलिखित गृह चलाए जा रहे हैं । 1. निर्मल छाया, निर्मल छाया
परिसर, जेल रोड़, नई दिल्ली ।
2. अल्पावास सदन, निर्मल छाया परिसर, जेल रोड, नई दिल्ली ।
3. महिला आश्रम, निर्मल छाया परिसर, जेल रोड, नई दिल्ली ।
4. अभय महिला आश्रम, निर्मल छाया परिसर, जेल रोड,नई दिल्ली ।

बाल कल्याण के लिए निम्नलिखित

योजनाएं चलाई जा रही हैं:- 1. महिला एवं बाल विकास विभाग
द्वारा 21 बालगृह चलाए जा रहे हैं ।
2. 41 बालगृह एवं 15 ओपन सेंटर होम स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे हैं ।
3. महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 6 बाल कल्याण समितियां चलाई जा रही हैं ।
4. समेकित बाल विकास परियोजना के
अंतर्गत 94 परियोजनाएं चलाई जा
रही हैं, जिसके अंतर्गत 10607 आंगनबाड़ी केन्द्र चलाए जा रहे

हैं । 5. कमजोर वर्ग की दूध पिलाने
वाली
महिलाओं को आर्थिक सहायता । 6. राजीव गांधी कि

षोरी

7

सषक्तिकरण
योजना सबला ।

(ग) क्या यह भी सत्य है कि आंगनबाड़ी सेन्टर भी सरकार द्वारा चलाये जा रहे हैं,

(ग) जी हां ।

(घ)यदि हां, तो दिल्ली में कुल कितने आंगनबाड़ी केन्द्र चल रहे हैं तथा इन में कितने अधिकारी
व कर्मचारी कार्य कर रहे हैं,

(घ) दिल्ली में वर्तमान में 10615 आंगनबाड़ी केन्द्र चल रहे हैं । प्रत्येक केन्द्र में 1 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं 1 आंगनबाड़ी सहायिका कार्य कर रही है ।

(ड.
½

क्या यह भी सत्य है कि सीामापुरी क्षेत्र में भी कुछ आंगनबाड़ी केन्द्र चलाये जा रहे हैं, और

(ड.) जी हां ।

(च)यदि हां, तो किस-किस पते पर कुल कितने आंगनबाड़ी केन्द्र चल रहे हैं ?

(च) सीमापुरी क्षेत्र में कुल 64 आंगनबाड़ी केन्द्र चल रहे हैं । पतों की सूची संलग्न हैं ।

8

दिनांक: 05.09.2012
ः महिला एवं बाल विकास

क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि:-

प्रश्न उत्तर
(क) क्या यह सत्य है कि मुस्लिम
षन
लेने के लिए न्यायालय द्वारा
तलाक की डिक्करी कॉपी लानी
पड़ती है,

तलाक की डिक्करी के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कोई भी एक मान्य
है:-
’ पुलिस रिपोर्ट
’ पारिवारिक सलाह केन्द्र में दर्ज
षिकायत
’ महिला आयोग में दर्ज षिकायत
*

षिकायत
’ महिला पंचायत में दर्ज ष्किायत
(ख) क्या यह सत्य है कि मुस्लिम धर्म गुरूओं, मोलवियांे के द्वारा
तलाक के संबंध में जारी प्रमाण
पत्र मान्य नहीं है,

नियमों के अनुसार उपरोक्त मान्य है ।

(ग)

तिमारपुर विधान सभा क्षेत्र में कितने नागरिक विधवा पेंषन,
वृद्व पेंषन, विकलांग पेंषन, विधवा पुत्री सहायता एवं विधवाएं 10,000/-रू0 की आर्थिक सहायता प्राप्त कर रही हैं, उनकी सूची नाम पते सहित उपलब्ध करवाएं,

सूची संलग्न है ।

(घ)
2012 तक कुल कितने आवेदन प्राप्त किए, कितने रद्व किए गए उनकी सूची नाम एव ंपते सहित उपलब्ध करवाएं ?

सूची संलग्न है ।

9

ख्याः 40 दिनांक: 05.09.2012 श्री अनिल झा
क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेगी किः

क्रम प्रश्न उत्तर क) किराड़ी विधान सभा क्षेत्र के
अर्न्तगत ऑंगनवाड़ी के माध्यम
से कौन - कौन योजनाएं चलाई
जा रही हैं?

किराड़ी विधान सभा क्षेत्र के अर्न्तगत ऑंगनवाड़ी के माध्यम से निम्नलिखित योजनाएं चलाई जा रही हैंः

लाभार्थी
1) समेकित
बाल विकास
योजना
¼ICDS½

के बच्चे।
गर्भवती एवं दूध
पिलाने वाली
महिलाएं।
इस योजना के
अर्न्तगत पूरक
ा
ए वं स्वास्थ्य जॉंच,
श् ाक्षा एवं
स्कूल पूर्व शिक्षा
आदि सुविधाएं प्रदान
की जाती हैं।
2) इंदिरा गांधी
मातृत्व
सहयोग
योजना
¼IGMSY½

गर्भवती महिला - 19

आयु जिसका पहला
व दूसरा प्रसव हो
जिसमें उसने जीवित
बच्चे को जन्म दिया
हो और जिसका पति
सरकारी
कार्यालय/सार्वजनिक
क्षेत्र के उपक्रम
(केन्द्रीय या राज्य
सरकार) में काम नहीं
करता हैं। लाभार्थियों
को 4000 रुपये की
धन - राषि उचित
देखभाल हेतु 3

10

किश्तों में निर्धारित

दी जाती हैं।
3) कमजोर वर्ग
की दूध
पिलाने वाली
महिलाओं
को आर्थिक
सहायता

कमजोर वर्ग की एवं
अनुसूचित जाति एवं
जन - जाति की दूध
पिलाने वाली
महिलाओं को उचित

बच्चों के जन्म पर
500 रुपये की एक
मुश्त राशि।
4) राजीव गांधी
किशोरी
सशक्तीकरण
योजना
’सबला’

इसके अर्न्तगत 11 से

किशोरियों को

सेवायें उपलब्ध कराई
जाती हैं जिसमें
स्वास्थ्य जॉंच,
आयरन एवं फौलिक
ए सिड की गोलियों
का वितरण, जीवन
कौशल कला षिक्षा
ए वं व्यवसायिक
प्रशिक्षण का प्रावधान
हैं।

ख) क्या ऑंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को चुनाव कार्य हेतु जैसे वोट
बनाने, वोट काटने, छांटने के कार्य पर भी लगाया जाता हैं?

विभाग द्धारा इस संबंध में कोई आदेश जारी नहीं किए गये हैं। बहरहाल, विभाग ने ब्म्व् को पत्र लिख कर ऑंगनवाड़ी कार्यकर्ता को म्समबजपवद क्नजल पर न लगाने का अनुरोध किया हैं तथा ब्म्व् ने यह मामला म्समबजपवद ब्वउउपेेपवद वf प्दकपं को स्पष्टीकरण के लिए भेज दिया हैं। ग)यदि हॉं, तो किस ऑंगनवाड़ी कार्यकर्ता को कौन - कौन से बूथ की जिम्मेदारी दी गई हैं इनके नाम, फोन नं, आदि क्या

उपरोक्त अनुसार।

11

हैं?
घ) किराड़ी विधान सभा क्षेत्र में ऑंगनवाड़ी केन्द्रों में जो भोजन उपलब्ध कराया जाता हैं वह कहॉं से आता हैं उसें कौन सी
ए जेंसी बनाती हैं, उसकी
गुणवत्ता कि जांच व मानदंड
\

किराड़ी विधान सभा में विभिन्न परियोजनाओं के अर्न्तगत चल रही ऑंगनवाड़ियों में विभिन्न गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से स्व सहायता
समूहों द्धारा उपलब्ध कराये जाते हैं। जिसका ब्यौरा निम्नलिखित हैंः

1) सावदा
परियोजना

5

2) कन्झावला
परियोजना

22
/ नव
प्रयास
3) प्रताप विहार
परियोजना

92 पीपुल्स
वेलफेयर
सोसायटी
4) प्रेम नगर
परियोजना

110

निर्बल
उत्थान
संस्था
5½ Ckokuk
परियोजना

16

निर्बल
उत्थान
संस्था
6) अमन विहार
परियोजना

103 दलित
प्रहरी
7) मीर विहार
परियोजना

28 नव प्रयास

ऑंगनवाड़ियों में वितरित किये जा रहे

प र विभाग, भारत सरकार की प्रयोगशाला एवं अन्य किसी भी गैर सरकारी प्रयोगशाला में करवाई जाती हैं। यह जॉंच एक परियोजना में 15 दिन में 2 बार करवाना आवश्यक हैं। उनकी रिर्पोट के आधार पर ही उनके बिलों के भुगतान हेतू कार्यवाही की जाती हैं।

12

अतारा दिनांक: 05.09.2012

क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि:-

प्रश्न उत्तर
(क)

(ख)

अनाथ बच्चों के भरण
लिए सरकार की ओर से क्या
योजना है,

क्या यह सत्य है कि ऐसे बच्चों

द्वारा इनके रहने व खाने आदि
की व्यवस्था की गई है,

(क) एवं (ख) 1. महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 21 बालगृह चलाये जा रहे हैं, जिनकी सूची संलग्न है । इन संस्थाओं में निराश्रित, अनाथ तथा अन्य जरूरतमंद बच्चों को आश्रय, आहार, चिकित्सा, शिक्षा तथा मनोरंजन की सुविधाएं दी जाती है ।
2. इसके अतिरिक्त स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा 41 बालगृह तथा 15 वचमद ेीमसजमत ीवउमे चलाये जा रहे हैं ।
3. इन संस्थाओं में प्रवे ा हेतु सरकार ने धारा 29(बालकों की देखरेख और संरक्षण)नियम 2009 अनुसार 07 बाल कल्याण समितियों का गठन किया है । जिनकी सूची संलग्न है । इन समितियों के आगे इस प्रकार के बच्चों को पे ा किया जाता है और ये समितियां बच्चों के हित के अनुसार निर्णय लेती हैं । सूची संलग्न है ।
4. उपर्युक्त संस्थाओं में बच्चों को आश्रय, आहार, चिकित्सा, मनोरंजन f क्षा तथा व्यवसायिक प्रषिक्षण दिया जाता है जिससे वह स्वालम्बन की तरफ अग्रसर हों । यह सुविधाएं दिल्ली कि ाोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम 2009 के अनुसार निशुल्क प्रदान की जाती है ।

13

(ग) क्या यह सत्य है कि सरकार द्वारा ऐसे बच्चों को कामकाज के लिए आर्थिक सहायता दी जाती
है, ंऔर

(ग) जी, नहीं ।

(घ)यदि हां तो उसके लिए आवेदकों द्वारा इन औपचारिकताओं को पूरा करना आवश्यक होता है ?

(घ) उपरोक्त के अनुसार ।

अतारांकित प्रश्न संख्याः 138 fnukad % 05-09-2012
प्रश्नकर्ता : चौ0 सुरेन्द्र कुमार **विभाग : महिला एवं बाल विकास**

D;k lekt dY;k.k ea=h ;g crkus dh d`ik djsaxh fd %&

	iz'u	mRrj
¼d½	D;k ;g lR; gS fd efgyk lekt dY;k.k foHkkx }kjk xksdqyiqj **विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2008 से लेकर वर्ष** 2012 rd fdruh fo/kokvksa ,oa o`}ksa dh isa"ku cukbZ xbZ]	**(क) गोकुलपुर विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2008–12 तक स्वीकृत किए** x, vkosnuksa dk dkj.k fuEufyf[kr gS %& <table><tr><td></td><td>2008&09</td><td>2009&10</td><td>2010&11</td><td>2011&12</td><td>2012&13</td></tr><tr><td>o`}koLFkk isa"ku</td><td>1484</td><td>1129</td><td>596</td><td>1023</td><td>689</td></tr><tr><td>fo/kok isa"ku</td><td>395</td><td>487</td><td>199</td><td>383</td><td>159</td></tr></table>
¼[k½	fdruh fo/kokvksa vkSj o`}ksa dks isa"ku nh xbZ]	¼[k½ mijksDr 'd' ds vuqlkj A
¼x½	fdrus isa"ku dsl yafcr gS] vkSj	¼x½ dksbZ vkosnu yafcr ugha gS A
¼?k½	mUgsa dc rd isa"ku miyC/k djkbZ tk;sxh \	¼?k½ fiNys Lohd`r lHkh dslksa dh /kujkf"k lHkh ykHkkfFk;ksa ds [kkrs esa igqapk nh xbZ gS A bl ckj ds lHkh Lohd`r vkosnuksa dh /ku jkf"k flrEcj ekg rd lHkh ykHkkfFk;ksa ds [kkrs esa igqpk nh tk;sxh A

139- vrkjkfdr

श्री मोहन सिंह बिश्ट

D;k lekt dY;k.k e=h ;g crkus dh d`ik djsxh fd%

dze	iz'u	mÙkj
d½	**क्या यह सत्य हैं कि पूरे वर्ष के** nkjku vkaxuokM+h dk;ZdÙkkZvksa vkSj lgkf;dkvksa dks fdruk vodk”k fn;k tkrk gS rFkk ,d ckj esa deZpkjh fdruk vodk”k ys ldrs gS] D**या पूरे वर्ष के** nkjku deZpkjh)kjk vodk”k u fy, tkus ij mlds vodk”k dks **अगले वर्ष के अग्रनीत कर दिया** tkrk gS\	**पूरे वर्ष के दौरान ऑगनवाड़ी** dk;ZdÙkkZvksa vkSj lgkf;dkvksa dks 20 fnu dk vodk”k fn;k tkrk gSA os ,d ckj esa 10 fnu dk vodk”k ys ldrh gSA vodk”k u fy, tkus ij vodk”**ा को अगले वर्ष के लिए** vxzuhr ugha fd;k tkrkA
[k½	**सरकारी कर्मचारियों को पूरे वर्ष** esa fdl & fdl izdkj ds vodk”k fn;s tkrs gSa rFkk vkaxuokM+h dks bruk vodk”k D;ksa ugha fn;k tkrk gS\	**सरकारी कर्मचारियों को पूरे वर्ष में** fuEufyf[kr vodk”k fn;s tkrs gSa% vkdfLed vodk”k ¾ 8 fnu vftZr vodk”k 1 tuojh ls 30 twu 15 fnu 1 tqykbZ ls 31 fnlEcj 15 fnu ¾ 30 fnu #X.k vodk”k 1 tuojh ls 30 twu 10 fnu 1 tqykbZ ls 31 fnlEcj 10 fnu ¾ 20 fnu vkaxuokM+h dsUnz Hkkjr ljdkj)kjk izk;ksftr ;kstuk *lefdr cky

16

विकास सेवाओं’ के अर्न्तगत उन्हीं के द्धारा निर्धारित दिषा निर्देषों के अनुसार चलायें जाते हैं। योजना के अनुसार ऑंगनवाड़ी कार्यकर्ता का पद अवैतनिक हैं तथा नियमित सरकारी कर्मचारी के पद के समान नहीं हैं। इसलिए ऑंगनवाड़ी कार्यकताओं को सरकारी कर्मचारियों के समान अवकाष नहीं दिया जाता।
ग)
पूर्व इनके मानदेय बढ़ाए गये थे तथा केन्द्र सरकार द्धारा कितने

Fks\

1 अप्रैल 2008 से दिल्ली सरकार द्धारा आंगनवाड़ी कार्यकत्ताओं का मानदेय 500 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 1000 रुपये प्रतिमाह तथा ऑंगनवाड़ी सहायिकाओं का 200 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 500 रुपये प्रतिमाह किया गया। भारत सरकार द्धारा 1 अप्रैल 2011 से आंगनवाड़ी कार्यकत्ताओं का मानदेय 1500 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 3000 रुपये प्रतिमाह तथा ऑंगनवाड़ी सहायिकाओं का 750 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 1500 रुपये प्रतिमाह किया गया।

कुल मिलाकर आंगनवाड़ी
कार्यकत्ताओं को 4000 रुपये प्रतिमाह तथा सहायिकाओं को 2000 रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाता हैं। घ) क्या सरकार न्यूनतम मजदूरी को ध्यान में रखते हुए पूरे माह में किये गए कार्य के दिनों के
आधार पर इनको मानदेय देने पर विचार करेंगी?

चूॅंकि कार्यकर्ता का पद न्यूनतम मजदूरी अधिनियम (डपदपउनउ ॅंहमे ।बज) के अर्न्तगत नहीं आता हैं अतः अभी तक इस संबंध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैं। भारत सरकार से आदेष प्राप्त होने पर ही इस संबंध में उचित कार्यवाही की जाएगी। ड.)यदि नहीं, तो क्या इस प्रकार से वास्तव में दिल्ली सरकार द्धारा
बनाए गये श्रम कानून का
उल्लघंन नहीं हो रहा हैं?

चूॅंकि कार्यकर्ता का पद श्रम
अधिनियम (डपदपउनउ ॅंहमे ।बज) के
अर्न्तगत नहीं आता हैं इसलिए इस
संबंध में दिल्ली सरकार द्धारा बनाए
गये श्रम कानून का उल्लघंन नहीं हो
रहा हैं।
च) ऑंगनवाड़ी कर्मचारियों के जीवन भारत सरकार द्धारा प्रायोजित योजना

17

स्तर तथा मानदेय में सुधार करने

क्या योजना हैं?

होने के नाते भारत सरकार से प्राप्त आदेषों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।
छ) क्या यह सत्य नहीं हैं कि समाज से जुड़े हुए अनेक योजनाओं को
इन कार्यकर्ताओं के द्धारा
सम्पादित किया जाता हैं परन्तु मानदेय के नाम पर सरकार
उनको कम पैसे देकर उनका
\

आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता के द्धारा ऑंगनवाड़ी में प्रदान की जाने वाली सेवाओं से संबंधित कार्य का ही संपादन कराया जाता हैं। ऑंगनवाड़ी के समय के पष्चात् स्वेच्छा से अतिरिक्त कार्य करने पर संबंधित विभाग द्धारा अतिरिक्त मानदेय दिया जाता हैं।
ज) वर्तमान में ऑंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से उनके मूल कामों के अतिरिक्त कौन - कौन से
काम लिये जाते हैं?

आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता से उनके कार्य समय ;9:00 ।ड दृ 2:00 च्डद्ध के कार्यकल में ऑंगनवाड़ी से संबंधित कार्य ही कराए जाते हैं!

अतारांकित प्रश्न संख्याः **140**
प्रश्नकर्ताः **श्री मोहन सिंह बिष्ट**

दिनांकः **05.09.2012**
विभागः **महिला एवं बाल विकास**

क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेगी किः

कम	प्रश्न	उत्तर
क)	क्या यह भी सत्य हैं कि वर्तमान में चुनाव के मददेनजर ऑगनवाड़ी कार्यकताओं का बी.एल.ओ. के रुप में काम लिया जा रहा हैं?	विभाग द्धारा ऑगनवाड़ी कार्यकताओं को बी.एल.ओ. के रुप में कार्य करने के कोई आदेश जारी नहीं किए गये हैं। परन्तु विभाग ने CEO को पत्र लिख कर ऑगनवाड़ी कार्यकर्ता को Election Duty पर न लगाने का अनुरोध किया हैं तथा CEO ने यह मामला Election Commission of India को स्पष्टीकरण के लिए भेज दिया हैं।
ख)	क्या यह सत्य नहीं हैं कि इस प्रकार के काम लेने के सरकार द्धारा इस प्रकार का आदेश दिया जाता हैं कि कर्मचारी अपने मूल काम के अतिरिक्त इस कार्य को अवकाश के दौरान करेंगी?	उपरोक्त अनुसार।
ग)	क्या यह सत्य नहीं हैं कि जब इस कार्य पर नियमित कर्मचारियों को लगाया जाता हैं तो उनके मूल विभाग से पूरी तरह उस कार्य हेतु नियुक्त कर दिया जाता हैं?	बी.एल.ओ. के कार्य के लिए नियमित कर्मचारियों को चुनाव कार्यालय के आदेशानुसार कार्य पर लगाया जाता हैं।
घ)	यदि हां, तो ऑगनवाड़ी कार्यकताओं को भी क्यों नहीं इसी प्रकार पूरे समय हेतु नियुक्त कर दिया जाता हैं, तथा मात्र एक दिन अवकाश रविवार के दिन भी सरकार उनसे जबरदस्ती बी.एल.ओ. का काम क्यों ले रहीं हैं?	विभाग द्धारा कार्यकताओं को इस संबंध में कोई आदेश जारी नहीं किए गये हैं। बहरहाल, विभाग ने CEO को पत्र लिख कर ऑगनवाड़ी कार्यकर्ता को Election Duty पर न लगाने का अनुरोध किया हैं तथा CEO ने यह मामला Election Commission of India को स्पष्टीकरण के लिए भेज दिया हैं।
ड.)	क्या यह भी सत्य नहीं हैं कि बी.एल.ओ. का काम न करने की इच्छुक कर्मचारियों को जान बूझकर धमकी देकर बी.एल.ओ का काम करवाया जाता हैं तथा उनके पास चुनाव डयूटी का हवाला देकर कार्य न करने की स्थिति में अनुशासनिक कार्यवाही करने का भय दिखाया जाता हैं?	ऑगनवाड़ी कार्यकर्ता का पद अवैतनिक हैं तथा इनके विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही CCS (CCA) Rule 1965 के अर्न्तगत नहीं की जा सकती।

27K

च)	यदि हां तो इस प्रकार के अन्याय के क्या कारण हैं तथा कब तक इनका शोषण रोकने हेतु सरकार कारगार कदम उठायेगी?	लागू नहीं होता।

अतारांकित प्रश्न संख्या – 141 दिनांकः 05.09.2012

प्रश्नकर्ता - श्री ओ.पी.बब्बर विभाग : महिला एवं बाल विकास

क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी किः

कम	प्रश्न	उत्तर
क	क्या सरकार द्वारा विधवाओं के मासिक पेंशन एवं आर्थिक सहायता को 1000रू0 से बढ़ाकर 1500/–रू0 एवं उनकी पुत्रियों के विवाह राशि को 25000/–रू0 से बढ़ाकर 35000/–रू0 किए जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है, और	विधवाओं की मासिक पेंशन 1000/–रू0 से बढ़ाकर 1500/–रू0 तथा उनकी पुत्रियों की विवाह राशि को 25000/–रू0 से बढ़ाकर 30000/–रू0 कर दी गई है । इसे 35000/–रू0 करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है ।
ख	सरकार द्वारा गरीब विधवाओं को पेंशन प्रदान करने के लिए जो औपचारिकताएं होती हैं उनको समाप्त करने के लिए कोई कदम उठाया जा रहा है ?	विधवाओं को पेंशन प्रदान करने के लिए अब केवल दस्तावेज के आधार पर स्वीकृत की जाती है । सभी शर्तों को पहले से सरल कर दिया गया है ।

21

दिनांक: 05.09.2012

श्री सतप्रकाष राणा
क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेगी किः

क्रम प्रश्न उत्तर क) महिपाल पुर विधान सभा क्षेत्र के
राज नगर पार्ट - 2 महिपालपुर,
समालका, कापसहेड़ा, विजवासन
आदि में कुल कितनी
ऑंगनवाड़ियॉं हैं व कहॉं - कहॉं
पर चलाई जा रही हैं?

महिपाल पुर विधान सभा क्षेत्र के राज नगर पार्ट - 2 में 10 ऑंगनवाड़ी केन्द्र, महिपालपुर में 13 ऑंगनवाड़ी केन्द्र, समालका में 10 ऑंगनवाड़ी केन्द्र, कापसहेड़ा में 17 ऑंगनवाड़ी केन्द्र, विजवासन में 12 ऑंगनवाड़ी केन्द्र चल रहे हैं। इनकी सूची संल्गन हैं।
ख) प्रति ऑंगनवाड़ी वर्कर व ऑंगनवाड़ी का नाम व पता
सहित पूरी जानकारी क्या हैं?

सूची संल्गन हैं।

ग) इस क्षेत्र में कुल कितने नए ऑंगनवाड़ी केन्द्र खोले जाने की योजना हैं?

विभाग प्रत्येक क्षेत्र में आंगनवाड़ी की सुविधायें उपलब्ध कराने के संबंध में कार्य कर रही हैं। यदि किसी क्षेत्र में अभी भी आंगनवाड़ी की सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं तो उस क्षेत्र में आंगनवाड़ी केन्द्र खोलने पर विचार किया जा सकता हैं।

22

दिनांक: 05.09.2012

श्री अनिल झा
क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेगी किः

क्रम प्रश्न उत्तर क) महिला बाल विकास विभाग

कितनी नई योजनाएं प्रारंभ
की गई और उनकी पात्रता
क्या तथा इन योजनाओं से
किस प्रकार का लाभ दिया
जाता हैं?

महिला बाल विकास विभाग द्धारा पिछले

प्रायोजित निम्नलिखित दो योजनाएं प्रारंभ की गई हैंः

लाभार्थी
1) इंदिरा गांधी
मातृत्व
सहयोग
योजना
¼IGMSY½

गर्भवती महिला - 19

आयु जिसका पहला
व दूसरा प्रसव हो
जिसमें उसने जीवित
बच्चे को जन्म दिया
हो और जिसका पति
सरकारी
कार्यालय/सार्वजनिक
क्षेत्र के उपक्रम
(केन्द्रीय या राज्य
सरकार) में काम नहीं
करता हैं। लाभार्थियों
को 4000 रुपये की
धन - राशि उचित
देखभाल हेतु 3
किष्तों में निर्धारित

दी जाती हैं।
2) राजीव गांधी
किषोरी
सषक्तीकरण
योजना
’सबला’

इसके अर्न्तगत 11 से

किशोरियों को

सेवायें उपलब्ध कराई
जाती हैं जिसमें

23

स्वास्थ्य जॉंच,
आयरन एवं फौलिक
ए सिड की गोलियों
का वितरण, जीवन
कौशल कला शिक्षा
ए वं व्यवसायिक
प्रशिक्षण का प्रावधान
हैं।
3) आवाज़
उठाओ

सरकार ने सामाजिक
सुविधा संगम के
ळत्ब् के माध्यम से
वर्ष 2011 - 12 में
60 आवाज़ उठाओ
समूहों का गठन
किया। इन समूहों
का उद्धेश्य महिला
सुरक्षा के लिए ठोस
कदम उठाना एवं जो
महिलाएं ैमगनंस
Harrassment / Assault

से पीड़ित हैं उनको
मदद करना हैं।

ख) किराड़ी विधान सभा क्षेत्र में कुल कितनी ऑंगनवाड़ी केन्द्र चल रहे हैं इनके नाम स्थान
फोन नं. और ऑंगनवाड़ी का क्षेत्रीय कार्यालय कहॉं पर
स्थिति हैं तथा उसके मुखिया का नाम व फोन नं क्या हैं?

किराड़ी विधान सभा क्षेत्र में 7 परियोजनायों के अर्न्तगत कुल 375 ऑंगनवाड़ी केन्द्र चल रहे हैं। इनकी सूची संल्गन हैं।

ग) ऑंगनवाड़ी वर्कर और
सहायक को मासिक वेतन
कितना दिया जाता हैं, कितने सहायक वर्करों के पद
किराड़ी विधान सभा में रिक्त
हैं, पूर्ण विवरण क्या हैं?

ऑंगनवाड़ी वर्कर को 4000 रुपये प्रतिमाह और सहायक को 2000 रुपये प्रतिमाह मासिक मानदेय दिया जाता हैं। सहायक वर्करों का कोई भी पद रिक्त नहीं हैं।

घ) किराड़ी विधान सभा क्षेत्र में ाोZं में कितनी
विधवाओं, विकलागों, बुर्जग
महिलाओं, तलाकशुदा

निम्न श्रेणियों में प्रदान की जाने वाली

योजना का नाम लाभार्थी की सं.3586

	efgykvksa ,oa fujf{kr efgykvksa dh isa'ku yxkbZ xbZ i.kk tkudkjh miyC/k djokus dk d"V djsa\	**विकंलाग पेंशन** **681** fo/kok@fujkfJr 1641

25

दिनांक: 05.09.2012

क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि:-

प्रश्न उत्तर
(क) क्या यह सत्य है कि
त्रिलोकपुरी विधान सभा क्षेत्र
में अब तक बेसहारा व
विधवा महिलाओं के कितने
आवेदन पेंषन के लिए
मिलें, कितने त्मरमबज हुए
और कितने ।चचतवअम हुएय और

(क) त्रिलोक पुरी विधान सभा क्षेत्र में 2008 से अग तक बेसहारा, विधवा महिलाओं के पेंषन का ब्यौरा निम्न प्रकार है:- योजना का
नाम

क्ुल प्राप्त
आवेदनों
की
संख्या

स्वीकृत

रद

बकाया

बेसहारा व
विधवा पेंषन

2008&09 180 149 31 &&

2009&10 319 261 58 &&
2010&11 259 219 40 &&
2011&12 299 296 03 &&
2012&13 66 56 10 &&

(ख) आपके विभाग द्वारा चलाई जा रही सभी कल्याणकारी योजनाओं का विवरण दें ?

(ख) दिल्ली में ंमहिलाओं के कल्याण के
लिए महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा
निम्नलिखित योजनाएं चलाई जा रहीहैंः-
1 विधवा एवं निराश्रित महिलाओं के लिए 1500/-रू0 प्रतिमाह पेंषन योजना ।
2-

के लिए 30000 रूपये एक मुष्त राषि देने की योजना ।
3. लाड़ली योजना ।
4. प्रियदर्षनी कामकाजी महिला हॉस्टल, विषवास नगर, दिल्ली ।

5. महिला कार्य केन्द्र ।
6.घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए महिलाओं की ष्घरेलू हिंसा से सुरक्षा अधिनियम-2005ष्
दिल्ली में लागू किया गया है, जिसके अंतर्गत 17 संरक्षण अधिकरी महिला एवं बाल विकास द्वारा नियुक्त किए गए हैं । 7. दहेज निरोधक कार्यक्रम के अंतर्गत सभी जिला समाज कल्याण अधिकारियों
गया है ।
8.दिल्ली महिला आयोग दूसरी मंजिल, सी ब्लॉक, विकास भवन, नई दिल्ली ।
9. निराश्रित गर्भवती महिलाओं के लिए आश्रय गृह ।

26

10. इंंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना ।
11. आवाज उठाओ ।

इन योजनाओं के अतिरिक्त दिल्ली सरकार द्वारा महिलाओं के लिए निम्नलिखित गृह चलाए जा रहे हैं ।
1. निर्मल छाया, निर्मल छाया परिसर, जेल रोड़, नई दिल्ली । 2. अल्पावास सदन, निर्मल छाया परिसर, जेल रोड, नई दिल्ली ।

3. महिला आश्रम, निर्मल छाया परिसर, जेल रोड, नई दिल्ली । 4. अभय महिला आश्रम, निर्मल छाया परिसर, जेल रोड,नई दिल्ली ।

बाल कल्याण के लिए निम्नलिखित योजनाएं चलाई जा रही हैं:-

1. महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 21 बालगृह चलाए जा रहे हैं ।
2. 41 बालगृह एवं 15 ओपन सेंटर होम स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे हैं ।
3. महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 7 बाल कल्याण समितियां चलाई जा रही हैं ।
4. समेकित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत 94 परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसके अंतर्गत 10607 आंगनबाड़ी केन्द्र
चलाए जा रहे हैं ।

Department of Women & Child Development
Government of National Capital Territory of Delhi
1ए ब्ंददपदह स्ंदम ज्ञण्ळण् डंतहए छमू क्मसीप.01
www.wcddel.in